

कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक-2589 /FP/UK/ROAD/41658/2019 :देहरादून: दिनांक: 28 अप्रैल, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत पौखाल मांडलु से खमाणा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.628 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्रांक-08बी/यू०सी०पी०/०६/२०/२०२०/एफ०सी०/३०५ दिनांक:-12.06.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 2584/13-2(1) दिनांक 20.04.2022 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:-

क्र. सं०	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण : (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.256 हे० ग्राम खमाणा सिविल, खसरा संख्या-3411 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बार एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण	(क) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 3.256 हे० ग्राम खमाणा सिविल, खसरा संख्या-3411 में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु रु० 1097871.00 की धनराशि चालान के माध्यम से कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1) (ख) उक्त शर्त के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुनी भूमि 3.256 हे० सिविल सोयम भूमि को जिलाधिकारी, पौड़ी द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित एवं नामान्तरित कर दिया गया है। सम्बन्धित आदेश की प्रति संलग्न है। (संलग्नक-2) उक्त वन भूमि को आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-3)

	एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कर््यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु यथोचित धनराशि कैम्पा खाते में चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या-202/1995 में 1A नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998- एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.628 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रु0 1069596.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा, कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार) सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बड़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक-4)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 189 से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
7	State Govt. wil inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work belore state-II approva as per guidance para 11.2 the state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) द्वारा चालान तैयार कर रु 2167467.00 वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से उत्तरांचल कैम्पा, कॉरपोरेशन बैंक नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक-1 के अनुसार)
9	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त के अनुपालन हेतु एफ0आर0ए0 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-5)
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
12	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनवीडब्ल्यूएल/एफसी/आर0ई0 सी0 की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राजीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से प्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
19	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

21	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	परियोजना निर्माण में मलबे को निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वन अधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निश्चित स्थल के अलावा मलवा कहीं नहीं फेंका जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

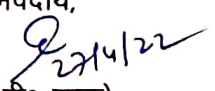
अतः अनुरोध है कि प्रकरण की सामरिक महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये विषयांकित प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

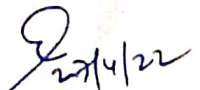
संलग्नक-यथोपरि।

संख्या- 2589 / FP/UK/ROAD/41658/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।
2. अधिशासी अभियन्ता, उप प्रबंधक, एन0पी0सी0सी0 लि0, पी0आई0यू0-दुगड्डा।

भवदीय,

 (बी0पी0 गुप्ता)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।


 (बी0पी0 गुप्ता)
 अपर प्रमुख वन संरक्षक
 एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
 उत्तराखण्ड, देहरादून।

4/11